रेल दावा न्यायाधिकरण

जयपुर न्यायपीठ

RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL

JAIPUR BENCH

दावा आवेदन संख्या – ओ.ए.।।(यू)/जेपी/98/2024

कोरम– श्री राजीव जैन, माननीय सदस्य (न्यायिक)

दावा पंजिकरण तिथि : **15.05.2024**

निर्णय तिथि : **09.03.2026**

1. श्रीमती हेमलता कुमारी गवारिया पत्नी स्व0 श्री दीपक उर्फ दीपू गवारिया, आयु करीब 23 वर्ष।
2. लखन बैरवा पुत्र स्व0 श्री दीपक उर्फ दीपू गवारिया, आयु करीब 03 वर्ष।
3. हिमांशु गवारिया पुत्र स्व0 श्री दीपक उर्फ दीपू गवारिया, आयु करीब 03 माह। (प्रार्थी संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती हेमलता कुमारी गवारिया पत्नी स्व0 श्री दीपक उर्फ दीपू गवारिया)
4. श्रीमती मांगी देवी पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश गवारिया, आयु करीब 55 वर्ष। निवासीयान– बस स्टैण्ड, बरुदनी, पीथावास, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....प्रार्थीगण/आवेदकगण

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुम्बई।

.....प्रत्यर्थी/प्रतिप्रार्थी

उपस्थिति

प्रार्थिया की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश पंडा।

प्रतिप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार वर्मा।

निर्णय

1. प्रार्थिया क्रमांक 01 ने अपने पति, प्रार्थीगण क्रमांक 02 व 03 ने अपने पिता व प्रार्थिया क्रमांक 04 ने अपने पुत्र, की अनापेक्षित दुर्घटना में चलती ट्रैन से नीचे गिर जाने के कारण कुल 8,00,000/– (रुपये आठ लाख मात्र) मय घटना दिनांक से

भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत ब्याज सहित, रेल अधिनियम 1989 की धारा 125 सपठित धारा 16 रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 के अन्तर्गत, प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के लिये दाखिल किया है।

2. **दावा याचिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण का प्रकरण निम्नानुसार है :-**

I. यह कि मृतक का आधार कार्ड एवं दस्तावेजात में नाम दीपू गवारिया अंकित है तथा मृतक का घर पर बोलता नाम दीपक है। मृतक के जीजा श्री बंशीलाल गवारिया को मृतक का घर को बोलता नाम दीपक पता होने से उसके द्वारा पुलिस कार्यवाही के दौरान मृतक का नाम दीपक गवारिया बता दिया गया, जिससे पुलिस दस्तावेजात में मृतक का नाम दीपक गवारिया अंकित हो गया। दीपक गवारिया उर्फ दीपू गवारिया दोनों नाम मृतक के ही है, इसलिए क्लेम याचिका में मृतक के दोनों नाम दीपक उर्फ दीपू गवारिया अंकित किये गये हैं।

II. यह कि मृतक दीपक उर्फ दीपू गवारिया घटना के समय तमिलनाडु में आईसक्रीम का कार्य करता था। मृतक दीपक उर्फ दीपू गवारिया घर आने के लिए दिनांक 09-04-2023 को सेलम से ट्रेन द्वारा रवाना होकर भोपाल आया तथा भोपाल से अन्य ट्रेन से उज्जैन आया। मृतक दीपक उर्फ दीपू गवारिया ने दिनांक 11-04-2023 को अपनी पत्नी श्रीमती हेमलता कुमारी गवारिया को स्वयं के उज्जैन आ जाने तथा उज्जैन से ट्रेन द्वारा घर आने बाबत् फोन पर बताया था।

III. यह कि मृतक दीपक उर्फ दीपू गवारिया ने उज्जैन से एक द्वितीय श्रेणी का सुपरफास्ट यात्रा टिकिट नम्बर यूएलसी 28392909 उज्जैन से भीलवाड़ा का दिनांक 11-04-2023 को खरीदा। मृतक दीपक उर्फ दीपू गवारिया दिनांक 11-04-2023 को उज्जैन से भीलवाड़ा की यात्रा उपरोक्त यात्रा टिकिट पर गाडी संख्या 12720 हैदराबाद-जयपुर एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में कर रहा था, जब उक्त गाडी चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी तो अकस्मात संतुलन बिगड़ जाने से दीपक उर्फ दीपू गवारिया उक्त चलती गाड़ी के डिब्बे में से दिनांक 11/12-04-2023 के मध्य रात्रि के लगभग किलोमीटर नम्बर 184/32-33 के मध्य गिर गया, इस प्रकार अकस्मात ट्रेन के डिब्बे में से नीचे गिरने से दीपक उर्फ दीपू गवारिया के सिर एवं शरीर के अन्य भागों पर गम्भीर चोटें आयी, जिनके कारण दीपक उर्फ दीपू गवारिया की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई।

IV. यह कि स्टेशन मास्टर, चित्तौडगढ़ ने घटना की सूचना जी आर.पी. चित्तौड़गढ़ को दी। सूचना प्राप्त होने पर जी.आर.पी. मौके पर आयी तथा मृतक कीतलाशी ली गई, जिसमें मृतक की जेब में रेल यात्रा टिकिट नम्बर यूएलसी 28392909 उज्जैन से भीलवाड़ा का दिनांक 11-04-2023 का मिला। मृतक के पास एक मोबाईल वीवो कम्पनी का जिसके कवर के पीछे दो रेल यात्रा टिकिट सेलम से भोपाल का व भोपाल से उज्जैन का मिला व ब्लूटुथ ईयरफोन व 1830/- रूपए नकद मिले। जी. आर.पी. द्वारा घटना की सूचना परिवारजन को दी गई। सूचना प्राप्त होने पर मृतक का साला बंशीलाल गवारिया, मृतक के मामा का लड़का सुरेश व चाचा का लड़का रमेशचन्द राजकीय सांवलिया जी अस्पताल, चित्तौडगढ़ पहुंचे, जहां ट्रेन से गिरकर मृत हुए व्यक्ति की लाश देखकर उसकी शिनाख्त मृतक दीपक उर्फ दीपू गवारिया के रूप में की। जी. आर पी. द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के बाद एवं मृतक की लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद मृतक दीपक उर्फ दीपू गवारिया की लाश अंतिम दाह संस्कार हेतु चचेरे भाई रमेशचन्द को सुपुर्द कर दी।

V. यह कि मृतक दीपक उर्फ दीपू गवारिया ने उज्जैन से एक द्वितीय श्रेणी का सुपरफास्ट यात्रा टिकिट नम्बर यूएलसी 28392909 उज्जैन से भीलवाड़ा का दिनांक 11-04-2023 को खरीदा। मूल यात्रा टिकिट जी.आर.पी., चित्तौडगढ़ की अभिरक्षा में है। मृतक दीपक उर्फ दीपू गवारिया घटना के दिन ट्रेन का सद्भावी यात्री था।

(Reproduced as Verbatim)

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में रेल यात्रा टिकिट्स, मर्ग रिपोर्ट, नक्शा मौका घटनास्थल, फर्द सूरतहाल लाश, फर्द शिनाख्तगी लाश, फर्द सूरत हाल लाश व फर्द पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुपुदर्गी लाश, बयान, की प्रमाणित प्रति व मृतक के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक व प्रार्थीगण के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड की सत्यप्रति, छायाप्रति बैंक पासबुक, को दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत किया है।

3. **प्रतिप्रार्थी ने अपना जवाबदावा मय मूल डीआरएम रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जिसमें कथित किया है कि :-**

I. यह कि उक्त घटना के संबंध में जांच अधिकारी की जांच से स्पष्ट है कि दौराने जाच जुटाऐ गये तथ्यों, साक्ष्यों के आधार पर एवं घटना का कोई चश्मदीद गवाह ना होने के कारण रेल्वे अधि. 1989 की धारा-124 (क) के उपखण्ड (ख) व (ग) के

तहत उक्त अनापेक्षित घटना के लिए रेलवे से प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

II. यह कि दिनांक 11.04.2023 को समय करीबन 23.20 बजे चित्तौडगढ़ स्टेशन मास्टर को सवाई गाडी संख्या 19345 के लोकोपायलट ने वॉकी–टॉकी पर बताया कि चित्तौडगढ व चन्देरिया स्टेशन के मध्य किमी संख्या 184/32 पर मृतक लाईन के किनारे पड़ा हुआ था। जिसके पास से एक जनरल टिकट संख्या यूएलसी 28392909 उज्जैन से भीलवाडा तक का जारी किया गया। जिसमें दिनांक 11.04.2023 समय 13.42 बजे अंकित थी तथा मृतक दीपक ने दिनांक 11.04.2023 को समय 13.42 बजे उज्जैन से भीलवाडा का टिकट खरीदा था तथा गाडी संख्या 09468 समय 14.00 बजे उज्जैन से रतलाम आई थी तथा उसी में मृतक रतलाम तक आया था तथा स्टेशन मास्टर उज्जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार रतलाम से सवारी गाडी संख्या 19327 से 1645 बजे चलकर समय करीबन 08.40 पर चित्तौडगढ़ पर मृतक पहुँचा था। जो कि रतलाम से चित्तोडगढ़ स्टेशन केलिये गाड़ी संख्या 19327 समय 16.45 बजे के बाद समय 18.30 बजे ही गाडी संख्या 193345 ही रतलाम से चित्तौडगढ के लिये आती है लेकिन गाडी संख्या 19345 के पास (गुजरने) होने से पूर्व ही मृतक रेलवे लाईन के पास पड़ा था। जिसकी गाडी संख्या 19345 के लोकोपायलट श्री राजेन्द्र कुमार दूबे के द्वारा देखने पर चित्तौडगढ़ स्टेशन मास्टर को वॉकी–टॉकी पर सूचना दी थी। जिससे यह स्पष्ट होता है कि रनऑवर की घटना से मेल नहीं खाता है। जिससे उक्त क्लेम याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

III. यह कि मृतक के द्वारा अनाधिकृत तौर पर रेलवे लाईन क्रॉस चित्तौडगढ से चन्देरिया की तरफ रेलवे लाईन जाने के कारण किसी अज्ञात ट्रेन गाडी की चपेट में आने से उक्त घटना घटित होना प्रतीत होता है, क्योंकि चन्देरिया स्टेशन के लिये चित्तौडगढ से गाडी संख्या 19345 का समय 22.50 बजे था। जिससे यह साफ जाहिर होता है कि मृतक अनाधिकृत तौर पर रेलवे लाईन क्रॉस कर रहा था जो कि मृतक के द्वारा रेल अधिनियम की धारा 147 का अपराध कारित किया था जो कि दण्डनीय अपराध है तथा रनऑवर की घटना के लिये रेल प्रशासन कतई जिम्मेदार नहीं है इसलिए याचिकाकर्ता का क्लेम याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

IV. यह कि घटना के संबंध में ऑन ड्यूटी लोको पायलट सवारी गाडी संख्या 19345 चित्तौडगढ़–भीलवाडा डेमो एवं ऑन डयूटी ट्रेन मैनेजर सवारी गाडी संख्या 19345 चित्तौडगढ–भीलवाडा डेमो घटना स्थल के गवाह श्री आकाश मीणा आदि के बयान दिये गये तथा जांच अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक श्री सुभाष चन्द शर्मा ने निष्कर्ष में यह पाया कि मृतक दीपक गवारिया अनाधिकृत तौर पर रेलवे लाईन क्रॉस कर रहा था जो कि मृतक के द्वारा रेल अधिनियम की धारा 147 का अपराध कारित किया था जो कि दण्डनीय अपराध है। रनओवर की घटना के लिये रेल प्रशासन कतई जिम्मेदार नहीं है इसलिए याचिकाकर्ता का क्लेम याचिका खारिज किये जाने योग्य हैं।

V. यह कि उक्त घटना के संबंध में जांच अधिकारी के द्वारा लिये गये गवाहो के बयान व दस्तावेजों के आधार पर मृतक अनाधिकृत तौर पर चित्तौडगढ से चन्देरिया की तरफ रेलवे लाईन जाने के कारण किसी अज्ञात ट्रेन से रनओवर हो गया है जिससे स्पष्ट है कि मृतक रेवले का सदभावी यात्रीनहीं था इसलिये भी याचिकाकर्ता की क्लेम याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

VI. यह कि मृतक के उत्तरजीवियों के संबंध में याचिकाकर्ता सक्षम साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मृतक के उत्तरजीवियों के बारे में साबित करें।

VII. यह कि उक्त घटना में जाच अधिकारी के द्वारा लिये गये बयानों एवं दस्तावेजों के आधार पर मृतक दीपक गवारिया रेल का सदभावी यात्री नहीं माना जा सकता। अज्ञात गाडी के चपेट में आने से उक्त घटना घटित हुई है जो कि प्रार्थीगण रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 123 (1) (सी) के तहत् अनपेक्षित घटना की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिये याचिकाकर्ता रेलवे से क्लेम प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

(Reproduced as Verbatim)

4. दावा आवेदन एवं जवाब दावा में उल्लेखित अभिवचनों के आधार पर, इस वाद में निम्नलिखित वाद विषय दिनांक 31.07.2024 को बनाए गये थे :

1. Whether the deceased was a bonafide passenger of the train in question as defined in Section 2 (29) of the Railway Act 1989 on the date of incident and relevant time?

2. Whether the incident in question falls within definition of untoward incident as defined in Section 123 (c) (2) of the Railways Act 1989?

3. Whether the applicants are only dependents on the deceased as defined in Section 123 (b) of the Railways Act 1989?

4. Relief, if any, to which the applicants are entitled?

5. दावा याचिका के समर्थन में प्रार्थिया कमांक 01 श्रीमती हेमलता कुमारी गवारिया पत्नी स्व0 श्री दीपक उर्फ दीपू गवारिया, ने अपना शपथ पत्र (एडब्ल्यू –1) मुख्य परीक्षण के रूप में प्रस्तुत किया एवं प्रतिप्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थिया कमांक 01 से दिनांक 17.04.2025 को प्रतिपरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की ओर से इस दावे के समर्थन में, साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित किये गये है :–

क.स.	दस्तावेज	प्रदर्श
1.	प्रमाणित प्रति रेल यात्रा टिकिट	प्रदर्श–ए 1
2.	प्रमाणित प्रति मर्ग रिपोर्ट	प्रदर्श–ए 2
3.	प्रमाणित प्रति नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्श–ए 3
4.	प्रमाणित प्रति फर्द सूरत हाल लाश	प्रदर्श–ए 4
5.	प्रमाणित प्रति फर्द शिनाख्तगी लाश	प्रदर्श–ए 5
6.	प्रमाणित प्रति फर्द सूरतहाल लाश एवं फर्द पंचनामा	प्रदर्श–ए 6
7.	प्रमाणित प्रति पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श–ए 7
8.	प्रमाणित प्रति फर्द सुपुदर्गी लाश	प्रदर्श–ए 8
9.	प्रमाणित प्रति बयान	प्रदर्श–ए 9 से ए 12
14.	सत्यप्रति मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र	प्रदर्श–ए 13
15.	सत्यप्रति मृतक व प्रार्थीगण के आधार कार्ड	प्रदर्श ए–14,15,17 व ए–18
16.	सत्यप्रति मृतक के पुत्र का जन्मप्रमाण पत्र	प्रदर्श ए–16
17.	सत्यप्रति राशन कार्ड	प्रदर्श ए–19

6. प्रतिप्रार्थी के द्वारा श्री सुभाष चन्द शर्मा पुत्र श्री शंभूदयाल शर्मा, सहायक उपनिरिक्षक, रेलवे सुरक्षा बल, चितौड़गढ़ का शपथ पत्र (आरडब्ल्यू–1) के रूप में प्रस्तुत किया एवं राजेन्द कुमार दुबे पुत्र श्री राधेश्याम दुबे, लोको पायलेट, चित्तोडगढ़ का शपथ पत्र (आरडब्ल्यू–2) के रूप में प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दोनो साक्षियों से दिनांक 03.07.2025 को प्रतिपरीक्षण किया ।

7. **प्रतिप्रार्थी ने डी.आर.एम. रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्ष में कथित किया है कि :–**

मृतक व्यक्ति दीपक के पास रेल्वे का सामान्य टिकिट संख्या– यूएलसी 28392909, उज्जैन से भीलवाड़ा का टिकिट पाया गया था अतः मृतक रेल का अधिकृत यात्री था। दौराने जांच मृतक की पत्नी श्रीमती हेमलता कुमारी गंवारिया ने अपने कथनों में बताया है कि दीपक ने उन्हें फोन करके बताया था दिनांक 11.04.2023 को ट्रेन से तमिलनाडु से उज्जैन व उज्जैन से रतलाम तक आ गया तथा रतलाम से चित्तौड़गढ़ ट्रेन से आने के बारे में बताया और चित्तौडगढ़ उतरकर रात्री को उसकी बहन मंजु के पास चंदेरिया में रुकने का कहा था।

मृतक व्यक्ति दीपक ने दिनांक 11.04.2023 को समय 13.42 बजे उज्जैन स्टेशन से भीलवाड़ा का टिकिट खरीदा समय 14.00 बजे सवारी गाड़ी संख्या 09466 जो उज्जैन से रतलाम आई थी उससे रतलाम तक आया। उक्त गाड़ी दिनांक 11.04. 2023 को समय 14.00 बजे उज्जैन से रतलाम के लिए आई थी व स्टेशन मास्टर उज्जैन से प्राप्त की गई जानकारी अनुसार । बाद रतलाम से सवारी गाड़ी संख्या 19327 से 16.45 बजे चलकर समय करीबन 08.40 पर चित्तौड़गढ़ पहुंचा था। क्योंकि रतलाम से चित्तौडगढ़ स्टेशन के लिए गाड़ी संख्या 19327 समय 16.45 बजे के बाद समय 18.30 बजे ही गाडी संख्या 19345 ही रतलाम से चित्तौड़गढ़ के लिए आती है। लेकिन गाड़ी संख्या 19345 के पास होने से पूर्व से ही मृतक रेल्वे लाइन के पास पड़ा मिला था। जिसके गाड़ी संख्य 19345 के लोको पायलेट के द्वारा देखकर सूचना दिया था। चित्तौडगढ़ से चंदेरिया की तरफ रेल्वे लाइन–लाइन जाने के कारण किसी अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से उक्त घटना घटित होना प्रतीत होता है। क्योंकि चंदेरिया स्टेशन के लिए चित्तौडगढ़ से गाडी संख्या 19345 ही समय 22. 50 बजे थी।

उक्त घटना मृतक दीपक गंवारिया के अनाधिकृत रूप से रेल्वे लाइन पर जाने से किसी अज्ञात गाड़ी की चपेट मे आने से घटित हुई है। अतः मृतक का अनाधिकृत

रेल्वे लाइन पर जाना रेल अधिनियम की धारा 147 का एक दंडनीय अपराध है। उक्त घटना में रेल प्रशासन की कोई भी जवाबदारी व लापरवाही नहीं बनती है।

(Reproduced as Verbatim)

8. प्रार्थीगण व प्रतिप्रार्थी अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई व प्रकरण का अवलोकन किया गया, वाद विषय की विवेचना इस प्रकार है :

निर्णय के कारण

Decision with Reason

<u>वाद विषयः 01 व 02</u>

9. दावा याचिका के अभिवचनों को प्रमाणित करने बावत प्रार्थिया क्रमांक 01 श्रीमती हेमलता कुमारी गवारिया पत्नी स्व0 श्री दीपक उर्फ दीपू गवारिया, ने स्वयं का शपथ पत्र एडब्ल्यू–1 के रूप में साक्ष्य में प्रस्तुत किया है, जिसमें उसके द्वारा दावा याचिका में किये गये अभिवचनों को शपथ पत्र पर कथित किया है :–

1. यह कि मेरे पति मृतक दीपक उर्फ दीपू गवारिया घटना के समय तमिलनाडु में आईसक्रीम का कार्य करतक थक। मेरे पति घर आने के लिए दिनांक 09–04–2023 को सेलम से ट्रेन द्वारा रवाना होकर भोपाल आये तथा भोपाल से अन्य ट्रेन से उज्जैन आये। मेरे पति ने दिनांक 11–04–2023 को मझसे स्वयं के उज्जैन आ जाने तथा उज्जैन से ट्रेन द्वारा घर आने बाबत् फोन पर बता दिया था।

2. यह कि मेरे पति मृतक दीपक उर्फ दीपू गवारिया ने उज्जैन से एक द्वितीय श्रेणी का सुपरफास्ट यात्रा टिकिट नम्बर यूएलसी 28392909 उज्जैन से भीलवाड़ा का दिनांक 11–04–2023 को खरीदा। मेरे पति दिनांक 11–04–2023 को उज्जैन से भीलवाड़ा की यात्रा उपरोक्त यात्रा टिकिट पर गाड़ी संख्या 12720 हैदराबाद–जयपुर एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में कर रहे थे।

3. यह कि प्राप्त जानकारी के अनुसार जब उक्त गाडी चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी तो अकस्मात संतुलन बिगड़ जाने से मेरे पति उक्त चलती गाड़ी के डिब्बे में से दिनांक 11/12–04–2023 के मध्य रात्रि के लगभग किलोमीटर नम्बर 184/32–33 के मध्य गिर गये, जिससे मेरे पति के सिर एवं शरीर के अन्य भागों पर गम्भीर चोटें आने से घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई।

4. यह कि पुलिस दस्तावेजों के अनुसार स्टेशन मास्टर, चित्तौडगढ़ से प्राप्त सूचना के आधार पर जी.आर.पी. मौके पर आयी तथा मेरे पति की तलाशी ली गई, जिसमें मेरे पति की जेब में रेल यात्रा टिकिट नम्बर यूएलसी 28392909 उज्जैन से भीलवाड़ा का दिनांक 11–04–2023 का, एक मोबाईल वीवो कम्पनी का जिसके कवर के पीछे दो रेल यात्रा टिकिट सेलम से भोपाल का व भोपाल से उज्जैन का व ब्लूटुथ ईयरफोन व 1830/– रूपए नकद मिले। जी.आर.पी. से घटना की सूचना प्राप्त होने पर मेरा भाई बंशीलाल गवारिया, मेरे मामा ससुर का लड़का सुरेश व चाचा ससुर का लड़का रमेशचन्द राजकीय सांवलिया जी अस्पताल, चित्तौडगढ़ पहुंचे, जहां ट्रेन से गिरकर मृत हुए व्यक्ति की लाश देखकर उसकी शिनाख्त मेरे पति मृतक दीपक उर्फ दीपू गवारिया के रूप में की। जी.आर.पी. द्वारा मेरे पति की लाश बाद पोस्टमार्टम चचेरे देवर रमेशचन्द को सुपुर्द कर दी। मेरे पति का मूल यात्रा टिकिट जी.आर.पी. चित्तौडगढ़ की अभिरक्षा में है। मेरे पति मृतक दीपक उर्फ दीपू गवारिया घटना के दिन ट्रेन के सद्भावी यात्री थे।

(Reproduced as Verbatim)

10. <u>इस साक्षी ने अपने प्रतिपरिक्षण में कथित किया है कि :–</u>

मेरे पति सेलम तमिलनाडु में काम करते थे। मेरे पति 9 तारीख को सेलम से कोनसी गाडी से आ रहे थे मुझे पता नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है कि सेलम से भीलवाड़ा के लिए कोई सीधी ट्रेन है या नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे पति किस ट्रेन से सेलम से भोपाल एवं भोपाल से उज्जैन आये थे। उज्जैन से भीलवाड़ा के लिए टिकट मेरे पति ने खरीदा था। मेरे पति ट्रेन से चितोडगढ़ में गिर थे। मैंने मेरे पति के फोन लगाया था मेरे पति ने फोन नहीं उठाया था तब मेरे परिवार वालों ने मेरे पति के साथ हुए घटना के बारे में बताया। मेरे परिवालो में से कोई भी मेरे पति के साथ यात्रा नहीं कर रहा था। चितोडगढ़ से मेरा निवास स्थल पिथावास बहुत दूर है। मैने मेरे पति की यात्रा टिकट नहीं देखी और ना ही मैं जामातलाशी के समय मौजूद थी। शपथ पत्र के पैरा सख्या 4 में अंकित बाते सुनी सुनाई बातो के आधार पर लिखवाई है। मेरे परिवार में मेरे दो बच्चे है ओर सास है। यह कहना गलत है कि मेरे पति रेलवे ट्रैक पार कर थे इसलिए घटना घटित हुई है।

(Reproduced as Verbatim)

11. प्रतिप्रार्थी की ओर से साक्षी आरडब्ल्यू–1 श्री सुभाष चन्द शर्मा पुत्र श्री शंभूदयाल शर्मा, सहायक उप निरिक्षक, का शपथ पत्र साक्ष्य में प्रस्तुत किया। इस साक्षी ने अपनी शपथ पत्रिय साक्ष्य में कथित किया है कि :–

1. यह कि मैं घटना के दिन सहायक उपनिरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल चित्तौडगढ़ पर पदस्थापित था तथा मेरे द्वारा उपरोक्त प्रकरण की जांच की गई है।

2. यह कि मेरे द्वारा घटना स्थल पर उपस्थित गवाह आकाश मीणा लोको पायलेट, ट्रेन मैनेजर आदि के बयान लिये गये एवं प्रकरण के संबंध में दस्तावेज जिनमें टी. एस.आर. रिपोर्ट, टिकिट की सत्यापित प्रति, फॉर्म नं. 1 आदि प्राप्त किये गये थे। जिससे यह प्रतीत हुआ कि मृतक किसी अज्ञात गाडी से रेल्वे लाईन अनाधिकृत पार करते हुए चपेट में आने से उक्त घटना घटित हुई है।

3. यह कि उक्त प्रकरण के अनुसंधान में पाया कि गाडी स. 12720 जब चित्तोडगढ रेल्वे स्टेशन से गुजरी तो मृतक पहले से ही रेल्वे लाईन के बगल में पड़ा हुआ था इस कथन की पुष्टि मेरे द्वारा लोको पायलेट डेमो गाडी सं. 19345 के लिए गये बयानों के आधार पर हुई है एवं ऑन ड्यूटी रेलगार्ड डेमो गाडी स. 19345 तथा आकाश मीणा गवाह द्वारा यह बताया कि गाडी सं. 19345 जब घटना स्थल पर पहुंची उससे पहले ही मृतक किसी अज्ञात गाडी से रनओवर हुआ पड़ा था। जिससे यह स्पष्ट है कि मृतक सवारी गाडी सं. 12720 से गिरकर उक्त घटना घटित नही हुई उक्त गाडी बाद में आयी थी। मेरे अनुसंधान में कोई गवाह सामने नही आया जिसने मृतक को सवारी गाडी सं. 12720 से गिरते हुए देखा हो।

4. यह कि घटना के संबंध में मेरे द्वारा जांच करने पर पाया कि मृतक की गाडी सं. 12720 से गिरकर कोई अनापेक्षित घटना घटित नहीं हुयी है क्योंकि उक्त ट्रेन के चित्तोडगढ स्टेशन पहुंचने से पहले ही मृतक रेल्वे लाईन को बगल में पड़ा हुआ पाया गया था।

(Reproduced as Verbatim)

12. <u>इस साक्षी ने अपने प्रतिपरिक्षण में कथित किया है कि :–</u>

यह बात सही है कि मृतक के पास टिकिट मिला था। जीआरपी ने मुझे एक ही टिकिट के बारे में बताया था पर यह बात सही है कि मृतक के पास तीन टिकिट मिले थे। मृतक के पास एक टिकिट सैलग से भोपाल का दूसरा टिकिट भोपाल से

उज्जैन व तीसरा टिकिट उज्जैन से भीलवाडा का था। मुझे घटना की सूचना 23:15 पर स्टेशन मास्टर चित्तौडगढ़ ने दी थी उसे सूचना डेमू 19345 के लोको पायलट के द्वारा दी गई। मैंने रतलाम एस एस से गाडीयो के बारे में पूछा था जिसके दस्तावेज डीआरएम रिपोर्ट के पृष्ठ स० 43 पर सलग्न है। जिसमे गाडी नम्बर 12720 रतलाम से चित्तौडगढ़ आना भी अंकित है। मेने अपनी जॉच रिपोर्ट में 12720 का टाईम टेबिल नहीं लगाया स्वतः कहा उसकी आवश्यकता नहीं थी। यह बात सही है कि प्रदर्श आर ए–1 में मृतक की पत्नी ने यह बयान दिया कि मृतक ने बताया की वह उज्जैन से चित्तौडगढ़ आयेगा। उसने बयानों में यह नहीं बताया की वह उज्जैन से रतलाम आयेगा।19345 से पहले घटनास्थल से 02 गाडीयों जोकि 12964 व 19316 निकली थी।

प्रश्न– पृष्ठ स० 46 पर गाडीयो का विवरण घटनास्थल से 06 गुजरने गाडीयो का दिया है जबकि आप 02 ही गाडीया बता रहे है?
उत्तर– मैंने दो ही गाडीयो का अभी विवरण दिया है क्योंकि वो ही घटना से सबधित थी एव जॉच में उनका ही रेफरस बनता है।

मुझे रेल लाईन से रनओवर होने की बात किसी भी गार्ड व अन्य किसी व्यक्ति नहीं बताई। मैंने क्लेम याचिका पढ़ी थी। मैंने स्टेशन मास्टर से टीएसआर नहीं ली स्वतः कहा मैने स्टेशन मास्टर के द्वारा आरपीएफ को दिये गये दिनाक 20.05.2023 का मेमों लिया व रजिस्ट्रर की कॉपी ली थी जो पृष्ठ स० 28 पर सलग्न है। यह बात सही है कि मेरे द्वारा गाडी स० 12720 के गार्ड व लोको पायलट के बयान अकित नहीं करवाये गये स्वत कहा क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। 19345 से पहले निकलने वाली किसी भी गाडी के गार्ड एवं लोको पायलट ने लाश पडे होने के बारे में मुझे जॉच के दौरान नहीं बताया। मेरी जॉच के अनुसार मृतक 19327 से यात्रा कर रहा था। मृतक किसी सवारी गाडी से गिरा हो ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हुआ। मृतक को लाईन पार करते हुये किसी ने नहीं देखा क्योंकि रात का समय था। यह कहना गलत है कि मैं झूठा बयान दे रहा हूँ।

(Reproduced as Verbatim)

13. प्रतिप्रार्थी की ओर से साक्षी आरडब्ल्यू–2 श्री राजेन्द्र कुमार दुबे पुत्र श्री राधेश्याम दुबे, लोको पायलेट, पैसेंजर चितौडगढ, का शपथ पत्र साक्ष्य में प्रस्तुत किया। इस साक्षी ने अपनी शपथ पत्रिय साक्ष्य में कथित किया है कि :–

1. यह कि मैं घटना के समय लोको पायलेट गुड्स चित्तोडगढ़ पर पदस्थापित था।

2. यह कि दिनांक 11.04.2023 को मेरी ड्यूटी सवारी गाडी सं. 19345 चित्तोगडगढ से भीलवाडा डेमो में थी। जब हम 22.50 बजे चित्तोडगढ स्टेशन से किलोमीटर सं. 184/32 पर पहुंचे तो एक अज्ञात व्यक्ति (मृतक) रेल्वे लाईन के किनारे पडा हुआ दिखायी दिया मेरे द्वारा 15-20 फीट पहले गाडी को ब्रेक लगाकर रोका गया।

3. यह कि मेरे द्वारा अज्ञात व्यक्ति मृतक के किलोमीटर सं. 184/32 पर पडे होने की सूचना ट्रेन मैनेजर एवं स्टेशन मास्टर चित्तोडगढ को वॉकीटॉकी पर प्रदान की।

(Reproduced as Verbatim)

14. <u>इस साक्षी ने अपने प्रतिपरिक्षण में कथित किया है कि :-</u>

मैं अपनी गाडी छोडकर गाडी से उत्तकर घटनास्थल पर नही गया था स्वतः कहा डेमू में सिंगल पायलट रहता है। मेरी गाडी घटनास्थल से पहले डेडस्टोप हो गई। मुझे लाश के पास कोई लडका नही मिला। मैंने किसी लडके को कोई भी हिदायत नहीं दी थी। गार्ड साहब ने घटनास्थल पर खडे एक व्यक्ति को कहा था की जबतक कोई जीआरपी या आरपीएफ ना आ जाये तब तक आप यही खडे रहना यह बात मुझे गार्ड साहाब ने बताई। जब गाडी खडी उस दौरान मुझे कोई भी रेलवे कर्मचारी नही दिखा।

(Reproduced as Verbatim)

15. प्रार्थी साक्षी एडब्ल्यू-1 ने अपनी शपथ पत्रिय साक्ष्य में कथित किया है कि मेरे पति घर आने के लिये दिनांक 09.04.2023 को सैलम से रवाना होकर भोपाल आये एवं भोपाल से अन्य ट्रेन से उज्जैन आये। मेरे पति ने दिनांक 11.04.2023 को उज्जैन आ जाने एवं उज्जैन से ट्रेन द्वारा घर आने बाबत फोन पर बता दिया था। मेरे पति मृतक दीपक उर्फ दीपू गवारिया ने उज्जैन से एक द्वितीय श्रेणी का सुपरफास्ट यात्रा टिकिट नम्बर यूएलसी 28392909 उज्जैन से भीलवाडा का दिनांक 11.04.2023 को खरीदा एवं गाडी सं0 12720 हैदराबाद-जयपुर एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के साधारण डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। जब उक्त ट्रेन चितौडगढ रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी तब मेरे पति का अकस्मात संतुलन बिगड जाने से 11/12.04.2023 के मध्य रात्री कि.मी. नम्बर 184/32-33 के मध्य गिर गया, जिससे मेरे पति के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आई एवं घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई। जीआरपी के द्वारा मेरे पति

की तलाशी में टिकिट नम्बर यूएलसी 28392909 उज्जैन से भीलवाडा का, एक मोबाइल जिसके कवर में सैलम से भोपाल एवं भोपाल से उज्जैन का यात्रा टिकिट, ब्लयूटूथ एयरफोन व 1830/— नगद मिले। मेरे पति घटना के समय सदभावी यात्री थे। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरिक्षण में कथित किया है कि मेरे पति ट्रेन से चितौडगढ में गिरे थे। मैने मेरे पति को फोन लगाया था तो मेरे पति ने नहीं उठाया था तब मेरे परिवारवालो ने मेरे पति के साथ हुई घटना के बारे में बताया। मेरे परिवार में से कोई भी मेरे पति के साथ यात्रा नही कर रहा था। चितौडगढ से मेरा निवास पीथावास बहुत दूर है। मैं जमातलाशी के समय मौजूद नहीं थी। मैने यात्रा टिकिट नहीं देखी। शपथ पत्र के पैरा सं0–4 में अंकित बाते सुनी सुनाई बातो के आधार पर लेख की गई है। साक्षी घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है परंतु मृतक की पत्नि है एवं उसे अपने पति की यात्रा की जानकारी फोन पर उसके पति के द्वारा दी गई थी। कोई व्यक्ति यदि अकेला यात्रा कर रहा है तो उसके उत्तराधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी प्रस्तुत करे। कय की गई यात्रा टिकिट पूर्व की यात्रा सैलम से भोपाल एवं भोपाल से उज्जैन व दिनांक 11.04.2023 का उज्जैन से भीलवाडा का यात्रा टिकिट कमांक 28392909 मृतक की जेब से लाश पंचायतनामा, प्रदर्श ए–4 की लिखा पढी में मिलना दर्शाया गया है। उक्त यात्रा टिकिट की सत्यापित प्रतिलिपि, प्रदर्श ए–1 के रूप में प्रस्तुत भी की गई है। डीआरएम रिपोर्ट में मृतक के पास से उज्जैन से भीलवाडा टिकिट पाये जाने से एवं यात्रा टिकिट की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर मृतक को सदभावी यात्री होना मान्य भी किया गया है। अतएव मृतक के यात्रा के समय सदभावी यात्री होने में कोई संदेह नहीं है।

16. प्रार्थिया साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कथित किया है कि मृतक दिनांक 11.04.2023 को उज्जैन से भीलवाडा की यात्रा गाडी सं0 12720 में करने के दौरान चितौडगढ रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर आई चोटो के कारण घटनास्थल पर मृत हुआ है। इस साक्षी के प्रतिपरिक्षण में ऐसा कोई तथ्य नही आया जिससे साक्षी के कथनो पर अविश्वास किया जा सके। प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मर्ग रिपोर्ट, प्रदर्श ए–2, मर्ग कमांक 10/2023 थाना जीआरपी चितौडगढ की है जिसमें लेख है कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन चितौडगढ के पास अजमेर साईड में पुलिया से आगे की तरफ कि.मी. 184/32 के पास मृत अवस्था में पडा है। घटनास्थल का नक्शा, प्रदर्श ए–3 में मृतक का शव रेलवे ट्रैक के बाहर दर्शाया गया है। नक्शा पंचायतनामा लाश, प्रदर्श ए–6 में मृतक की मृत्यु ट्रेन की चपेट में आने से होना लेख किया गया है।

शव परिक्षण रिपोर्ट, प्रदर्श ए–7 में मृतक के शरीर पर खरोच एवं फटे हुये घाव के अलावा उसके सीधे हाथ एवं पैर में कटा हुआ घाव दर्शाया गया है एवं मृतक की मृत्यु सिर में आई मृत्यु पूर्व चोट के कारण कौमा को दर्शाया गया है। उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है परंतु प्रार्थी साक्षी की शपथ पत्रिय साक्ष्य एवं मृतक के शव से यात्रा टिकिट की जब्ती से स्पष्ट होता है कि मृतक यात्रा के दौरान चलती ट्रेन से गिरा है।

17. प्रतिप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान कथित किया है कि मृतक व्यक्ति दीपक ने दिनांक 11.04.2023 को समय 13.42 बजे उज्जैन स्टेशन से भीलवाडा का टिकिट खरीदा समय 14.00 बजे सवारी गाड़ी संख्या 09466 जो उज्जैन से रतलाम आई थी उससे रतलाम तक आया। उक्त गाडी दिनाक 11.04.2023 को समय 14.00 बजे उज्जैन से रतलाम के लिए आई थी व स्टेशन मास्टर उज्जैन से प्राप्त की गई जानकारी अनुसार । बाद रतलाम से सवारी गाडी संख्या 19327 से 16.45 बजे चलकर समय करीबन 08.40 पर चित्तौड़गढ़ पहुंचा था। क्योंकि रतलाम से चित्तौड़गढ़ स्टेशन के लिए गाडी संख्या 19327 समय 16.45 बजे के बाद समय 18.30 बजे ही गाड़ी संख्या 19345 ही रतलाम से चित्तौड़गढ़ के लिए आती है। लेकिन गाडी संख्या 19345 के पास होने से पूर्व से ही मृतक रेल्वे लाइन के पास पड़ा मिला था। जिसके गाड़ी संख्य 19345 के लोको पायलेट के द्वारा देखकर सूचना दिया था। चित्तौड़गढ़ से चंदेरिया की तरफ रेल्वे लाइन–लाइन जाने के कारण किसी अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से उक्त घटना घटित होना प्रतीत होता है। क्योंकि चंदेरिया स्टेशन के लिए चित्तौड़गढ़ से गाडी संख्या 19345 ही समय 22.50 बजे थी। उपरोक्त तथ्य डीआरएम रिपोर्ट, प्रतिप्रार्थी साक्षी आरडब्ल्यू–1 व आरडब्ल्यू–2 की साक्ष्य समर्थित है। अतएव मृतक का शव आरोपित गाडी सं.0 12720 के घटनास्थल पर पहुँचने के पूर्व ही घटनास्थल पर पाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मृतक यात्रा के दौरान ट्रेन से नहीं गिरा बल्कि मृतक अनाधिकृत रूप से रेल लाइन पार करते समय किसी अज्ञात गाडी की चपेट में आया है व उक्त घटना अनापेक्षित घटना की श्रेणी की नहीं है जिससे रेल प्रशासन कोई भी क्षतिपूर्ति राशि अदा करने की उत्तरदायी नहीं है।

18. प्रतिप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथित किया कि साक्षी आरडब्ल्यू–1 व आरडब्ल्यू–2 एवं न्यायालयीन साक्षी सीडब्ल्यू–1 एवं दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक का शव घटनास्थल पर दिनांक 11.04.2023 को सर्वप्रथम ट्रेन कमांक 19345

के लोको पायलेट ने 22:50 बजे देखा था एवं 23:05 बजे स्टेशन अधीक्षक, चित्तौडगढ के द्वारा घटना के संबंध में मेमो जारी किया गया था। ट्रेन क्रमांक 19327 घटनास्थल से 20:50 बजे व आरोपित ट्रेन क्रमांक 12720 घटनास्थल से 23:20 बजे निकली है। अतएव स्पष्ट है कि आरोपित ट्रेन 12720 के घटनास्थल पर पहुँचने के समय 23:20 के पूर्व ही मृतक का शव घटनास्थल पर 22:50 बजे देखा गया है, जिससे स्पष्ट है कि मृतक यात्रा के दौरान ट्रेन क्रमांक 12720 से नहीं गिरा है।

19. प्रार्थी अधिवक्ता ने कथित किया है कि यदि गलती से दावा याचिका में अभिवचन किसी अन्य यात्री ट्रेन का कर भी दिया जाता है तो भी मृतक के आश्रितगण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है, क्योंकि मृतक घटना के समय अकेला यात्रा कर रहा था एवं मृतक को सदभावी यात्री होना मान्य किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा न्यायदृष्टांत Delhi High Court IV (2011) ACC 597, Union of India Vs Radha Devi, Delhi High Court, 2014 (3) T.A.C. 171 (Del.) Union of India Vs Pratima Devi and Others प्रस्तुत कर कथित किया है कि उपरोक्त न्यायदृष्टांत में पारित सिद्धांत के अनुसार प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।

20. **Delhi High Court IV (2011) ACC 597, Union of India Vs Radha Devi**

4. The Railway Claims Tribunal has held the deceased to be a bonafide passenger travelling on the train inasmuch as during the Jamatalashi/search of the body of the deceased, a train ticket bearing No. 42243612 was, in fact, recovered. This recovery is mentioned in two-reports/DD entries of railway police officials. The Railway Claims Tribunal also held that the documents Ex. b AW1/7,to-Ex.. AW1/9, and which documents are: the DD entry No. 17 dated 7.12.2009, the statement of the Head Constable Sh. Om Prakash and the copy of the brief facts as prepared by the railway police, quiet clearly showed that the deceased had fallen down from a train. The Railway Claims Tribunal therefore held that the deceased was a bona fide passenger who fell from à train and therefore there was an untoward incident within the meaning of the expression c as foimd in Section 123(c) read with Section 124-A of the Railways Act, 1989 consequently statutory compensation was bound to be awarded to the respondent. An important aspect noted by the Railway Claims Tribunal was

that normally the railway through the DRM conducts an inquiry whenever there is an untoward incident, but in the présent case there was no investigation/verification report of the railways conducted through any d agency.

5. Learned Coinisel for the appellant stressed two points before this Court:

(1) The first argument was that as per the Guard Memo Book of the train from which the deceased is stated to have been fallen down, shows that the departure timing of the train in fact was 6.10 p.m. from the Delhi railway station and whereas the first information of the death relied in the case was received around 5.30 p.m. Le. earlier and consequently it could not be said that the deceased was travelling in the train which is stated in the Claim Petition.

(ii) The second argument was that it has not been established that the deceased in fact fell from the train and that the death irresult of f a fall from the train. It is argued that the incident in question has not been proved to be an untoward incident within the meaning of expression as found in Section 123(c) read with Section 124-A of the Railways Act, 1989.

6. In my opinion, the judgment of the Railway Claims Tribunal does not call for any interference by this Court as there is no illegality in the same. It 9 cannot be disputed that the deceased was a bona fide passenger because admittedly during the search/Jamatalashi of the person of the deceased the ticket was in fact recovered by the Railway officials themselves. The body was lying unattended till the same was searched by the railway officials and it could not therefore be said that the ticket had beer planted on the body. Also, there was no relative or friend or any person who was personally travelling with the h deceased and who had reached the site of the accident before the Railway officials found the body in order to plant the ticket. Therefore, it is proved beyond all doubt that the deceased in fact had purchased a railway ticket and was travelling as per the railway ticket making him a bona fide passenger.

7. The only issue then remains is as to whether the deceased in fact fell from a train or not. The Railway Claims Tribunal has relied upon the documents Ex. AW1/7 to Ex. AW1/9, and which are the documents of the officials of the appellant being the DD'entry, the brief facts and also the investigation

report of the Head Constable which showed that the deceased had fallen from a train. I completely agree with this finding and conclusion more so because the present is not one of those cases where the deceased was living in and around the area or was having an office/work place in or around the area where the death by untoward incident took place. Clearly therefore the death would have to be accidental and because of a use of a fall from the train. The provisions of Section 123(c) and Section 124-A have been enacted as a social/beneficial.legisla /beneficial legislation for social welfare vide UOIv. Prabhakaran, I (2009) ACC 270 (SC)2008 (9) SCC527. Such provisions have to be interpreted liberally once it is found that the facts do not show that the deceased died as a result of his own criminal negligence, and only in which case of self-inflicted criminal negligence can compensation be denied vide Jameela & Ors: v. UOI, III (2010) ACC 800 (SC)=2010 (12) SCC 443.

8. At the firstblush the argument as raised on behalf of the appellant with d. reference to the Guard Report of the train 1 DM seemed to indicate as if that the deceased did not fall from the local train 1 DM considering that the Claim Petition states that the deceased died by fall from a focal train No. 1-DM whereas the train 1DM had only left the Delhi railway station at 6.10 p.m.and the first report of a person lying dead near the track was earlier of around 5.30. p.m. However, this confusion in my opinion can very well be explained from the fact that the respondent/widow was not travelling in the train with the. deceased and also there was no other acquaintance/relative travelling with the deceased in the train and therefore the widow would have mentioned the train number in the Claim Petition only, on the basis of information received. Though the train number could have been wrongly stated in the Claim Petition, however, considering the balance of probabilities as per which the civil cases f has to be decided, the deceased in fact quite clearly had died on account of a fall from a train in view of the documents of the respondent's officers themselves. being Ex. AW1/7 to Ex. AW1/9. Therefore, even if one accepts the report of the guard, and which document has been filed and exhibited as Ex. RW1/1 before the Railway Claims Tribunal, yet, on that basis itself it cannot be said that the deceased did not die by a fall from a train. The deceased may not have died by fall from the specific train as stated in the Claim Petition, however, it has to be. held that he died on account of fall from a train in view of the documents of

the respondent itself being documents Ex. AW1/7 to Ex. AW1/9: Credence is very much there of the factum of death on account of fall from a train, because as already stated, the place of death is neither near the residence nor the work place of the deceased for the accident to be of any form of criminal negligence/self inflicted injury of wrongly standing on the railway tracks or crossing of the railway tracks.

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित न्यायादृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार प्रतिप्रार्थी ने यह स्वीकार किया है कि जामातलाशी में मृतक के पास रेल यात्रा टिकिट जब्त हुआ है एवं प्रतिप्रार्थी का प्रकरण ऐसा नहीं है कि मृतक के शव पर रेल यात्रा टिकिट प्लांट किया गया था। मृतक के पास घटना के समय कोई रिश्तेदार व दोस्त साथ में यात्रा नहीं कर रहा था जो घटनास्थल पर पहुँच कर यात्रा टिकिट प्लांट करता। यह संभव है कि मृतक यात्रा के समय आरोपित ट्रेन से ना गिरा हो परंतु दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक का यात्रा के दौरान किसी अन्य ट्रेन से गिरने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। मृतक का निवास स्थान/कार्यस्थल घटनास्थल से दूर है, जिस कारण से मृतक के उक्त स्थान पर बिना ट्रेन यात्रा के जाना संभव नहीं है। प्रतिप्रार्थी साक्षी आरडब्ल्यू–1 ने भी प्रतिपरिक्षण के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मेरी जांच के अनुसार मृतक यात्री ट्रेन क्रमांक 19327 में यात्रा कर रहा था जिससे स्पष्ट है कि मृतक यात्रा के दौरान यात्री ट्रेन 19327 से गिरकर घटना में आई चोटो के कारण मृत हुआ है। मृतक के ट्रेन क्रमांक 19327 से यात्रा के दौरान गिरने की पुष्टि ट्रेन क्रमांक 19327 एवं 19345 के गार्ड रफ जनरल से भी होती है क्योंकि ट्रेन क्रमांक 19327 घटनास्थल के पास चितौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 20:50 बजे प्रस्थान की है एवं उक्त ट्रेन के पश्चात ट्रेन क्रमांक 19345 चितौड़गढ़ स्टेशन से 22:50 बजे प्रस्थान की है व ट्रेन क्रमांक 19345 के लोको पायलेट के द्वारा ही स्टेशन मास्टर, चितौड़गढ़ को घटना की सूचना दी है।

21. **Delhi High Court, 2014 (3) T.A.C. 171 (Del.) Union of India Vs Pratima Devi and Others**

5. The liability under Section 123(c) read with Section 124-A of the Railways Act, 1989 is a strict liability of the Railways in view of the judgments of the Supreme Court in the cases of Union of India v. Prabhakaran Vijaya Kumar and Ors., (2008) 9 S.C.C. 527 and Jameela and Ors. v. Union of India, (2010) 12 S.C.C. 443, and once the deceased was found to be a bona fide

passenger with a valid train ticket, onus of proof has shifted to the Railway to show that the death was not on account of 'untoward incident'. Appellant did not lead any evidence and it cannot argue that * there was no fall from a train on assumptions and presumptions on the basis of merely a body found cut up. In my opinion, in the facts of the present case as stated above, there cannot be such assumptions and presumptions.

6. So far as the argument of body of the deceased found more than a day later and for which purpose'a Time Table of the Neelanchal Express train was relied upon in which the deceased was travelling, I cannot agree with such argument and agree with the conclusions of the Railway Claims Tribunal that once a person dies it is not possible to exactly find out and reconstruct the chain of events to exaction as no dependent was travelling with the deceased. Tribunal rightly noted that once the deceased was a bona fide passenger compensation has to be given because the deceased was found on the railway track, and delay in finding of the body or reporting of the incident cannot take away the incident from being an 'untoward incident', and consequently the liability of the appellant/ Railways.

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जहां मृतक सदभावी यात्री होना पाया जाता है एवं उसका शव रेलवे ट्रैक के पास पाया जाता है तब यह सिद्ध करने का भार प्रतिप्रार्थी रेलवे प्रशासन का है कि मृतक की मृत्यु अनापेक्षित घटना में नहीं हुई है। यदि रेलवे प्रशासन यह सिद्ध करने में असमर्थ रहता है कि मृतक की मृत्यु अनापेक्षित घटना में नहीं हुई है तब क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का उत्तरदायी रेलवे प्रशासन का होगा। विलम्ब से शव प्राप्त होने मात्र से अथवा घटना की जानकारी विलम्ब से प्राप्त होने के आधार पर अनापेक्षित घटना होने से इंकार नही किया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***Union of India v. Prabhakaran Vijaya Kumar*, (2008) 9 SCC 527** में निर्धारित किया है कि :–

Since the provision for compensation in the Railways Act is a beneficial piece of legislation, in our opinion, it should receive a liberal and wider interpretation and not a narrow and technical one. Hence, in our opinion the latter of the abovementioned two interpretations i.e. the

one which advances the object of the statute and serves its purpose should be preferred

It is well settled that if the words used in a beneficial or welfare statute are capable of two constructions, the one which is more in consonance with the object of the Act and for the benefit of the person for whom the Act was made should be preferred. In other words, beneficial or welfare statutes should be given a liberal and not literal or strict interpretation

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर रेलवे अधिनियम एक लाभकारी विधान है एवं लाभकारी विधान में प्रयुक्त शब्दो के यदि दो अर्थ निकलते है तो ऐसे अर्थ को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिसके उददेश्य हेतु उक्त विधान को निर्मित किया गया है एवं लाभकारी विधान की ऐसी उदार व्याख्या की जानी चाहिये जिससे उसे निर्मित किये जाने का उदेदश्य सफल हो सके।

उपरोक्त वर्णित मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायदृष्टांत के आधार पर मैं यह निर्धारित करता हूं कि मृतक घटना दिनांक 11.04.2023 को उज्जैन से भीलवाड़ा का यात्रा टिकिट क्रय कर पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहा था एवं यात्रा के दौरान चितौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के कि. मी. 184/32-33 के मध्य गिरकर अनापेक्षित घटना में घायल हुआ एवं घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। अतएव मृतक घटना के समय रेलवे अधिनियम की धारा 2(29) में परिभाषित अनुसार सदभावी यात्री था व मृतक के साथ घटित घटना धारा 123 (सी) (2) व 124 ए रेलवे अधिनियम के तहत अनापेक्षित घटना की श्रेणी में आती है। अतएव वाद विषय कमांक 01 व 02 प्रार्थीगण के पक्ष व प्रतिप्रार्थी रेलवे प्रशासन के विरुद्ध निर्णीत किये जाते है।

वाद संख्याः 03

22. प्रार्थिया कमांक 01 मृतक की पत्नि, प्रार्थीगण कमांक 02 व 03 मृतक के पुत्रगण एवं प्रार्थिया कमांक 04 मृतक की माता है, उक्त आशय के कथन प्रार्थिया कमांक 01 ने अपने शपथ पत्र में कथित किये है कि दावा याचिका के लम्बन रहने के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा स्वयं को मृतक का आश्रित होना नही बताया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के द्वारा दस्तावेजो के रूप में मृतक के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र,

मृतक व प्रार्थीगण के आधार कार्ड, मृतक के पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श ए–13 से ए–19 प्रस्तुत किये है। उपरोक्त दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है प्रार्थिया कमांक 01 मृतक की पत्नि, प्रार्थीगण कमांक 02 व 03 मृतक के पुत्रगण एवं प्रार्थिया कमांक 04 मृतक की माता है, एवं घटना के समय मृतक पर आश्रित रहे है। अतएव वाद विषय कमांक 03 उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाता है।

वाद संख्याः 04

23. मृतक घटना दिनांक 11.04.2023 को उज्जैन से भीलवाडा का यात्रा टिकिट कय कर पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहा था एवं यात्रा के दौरान चितौडगढ रेलवे स्टेशन के कि. मी. 184/32–33 के मध्य गिरकर अनापेक्षित घटना में घायल हुआ एवं घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। जिस कारण से मृतक के समस्त आश्रित रेलवे प्रशासन से मुआवजा राशि रूपये 8,00,000/– (रूपये आठ लाख मात्र) रेलवे दुर्घटना व अनापेक्षित घटना नियम 1990 के नियम 3(3) की अनुसूची के पार्ट एक में उल्लेखित अनुसार प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थीगण उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि रूपये 8,00,000/– (रूपये आठ लाख मात्र) पर घटना दिनांक 11.04.2023 से अधिकरण के अपर निबंधक के Suitor Money Account में जमा करने की दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार वाद विषय कमांक 04 निर्णित किया जाता है।

आदेश

ORDER

24. यह दावा प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। प्रार्थीगण को रू 8,00,000/– (रू आठ लाख मात्र) का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण को घटना दिनांक 11.04.2023 से मुआवजा राशि के अधिकरण के अपर निबंधक के Suitor Money Account में जमा करने की दिनांक तक मुआवजा राशि पर 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज भी प्रदान किया जाता है।

प्रार्थीगण का नाम	मुआवजा राशि	मुआवजा राशि का वितरण	
		नकद राशि	एन्यूटी/सावधि राशि
श्रीमती हेमलता कुमारी गवारिया पत्नी स्व0 श्री दीपक उर्फ दीपू गवारिया	रू 5,00,000/- (रूपये पांच लाख मात्र) अनुपातिक ब्याज राशि	रू 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) अनुपातिक ब्याज राशि	रू 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार रूपये मात्र) इस राशि को तीन वर्ष की अवधि हेतु किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सावधि में जमा रखा जावेगा। इस सावधि पर मिलने वाले मासिक ब्याज की राशि प्रार्थिया को उसके बचत खाते में भुगतान करके अदा कि जावेगी।
लखन बैरवा पुत्र स्व0 श्री दीपक उर्फ दीपू गवारिया (नाबालिग)	रू 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) एवं अनुपातिक ब्याज राशि	-	रू 1,00,000/- (रूपये एक लाख रूपये मात्र) एवं अनुपातिक ब्याज राशि इस राशि को प्रार्थिया के बालिग होने की अवधि अथवा 03 वर्ष की अवधि (जो भी अधिक हो) हेतु किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सावधि में जमा रखा जावेगा। इस सावधि पर मिलने वाले मासिक ब्याज की राशि प्रार्थिया क्रमांक-1 को उसके बचत खाते में भुगतान करके अदा कि जावेगी।
हिमांशु गवारिया पुत्र स्व0 श्री दीपक उर्फ दीपू गवारिया (नाबालिग)	रू 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) एवं अनुपातिक ब्याज राशि	-	रू 1,00,000/- (रूपये एक लाख रूपये मात्र) एवं अनुपातिक ब्याज राशि इस राशि को प्रार्थिया के बालिग होने की अवधि अथवा 03 वर्ष की अवधि (जो भी अधिक हो) हेतु किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सावधि में जमा रखा जावेगा। इस सावधि पर मिलने वाले मासिक ब्याज की राशि प्रार्थिया क्रमांक-1 को उसके बचत खाते में भुगतान करके अदा कि जावेगी।
श्रीमती मांगी देवी पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश गवारिया	रू 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) अनुपातिक ब्याज राशि	रू 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) अनुपातिक ब्याज राशि	रू 90,000/- (नब्बे हजार रूपये मात्र) इस राशि को तीन वर्ष की अवधि हेतु किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सावधि में जमा रखा जावेगा। इस सावधि पर मिलने वाले मासिक ब्याज की राशि प्रार्थिया को उसके बचत खाते में भुगतान करके अदा कि जावेगी।

25. प्रतिप्रार्थी रेलवे को निर्देश दिया जाता है कि वह ब्याज सहित मुआवजा राशि को अपर निबंधक द्वारा संचालित रेल दावा अधिकरण, जयपुर के स्युटर मनी (Suitor Money) एकांउट में इस आदेश की दिनांक से 30 दिनों के भीतर जमा करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिप्रार्थी रेलवे ब्याज सहित मुआवजा राशि को जमा करते समय भुगतान का पूर्ण विवरण जैसे यू.टी.आर. नंबर, ब्याज की गणना सहित आवेदक की मुआवजा राशि इत्यादि की सूचना पंजीकृत डाक से आवदेक को देगा एवं इसकी एक प्रति अपर निबंधक और आवेदक के अधिवक्ता को भी देगा।

26. जहाँ तक मुआवजे की राशि के वितरण का प्रश्न है, गीता देवी बनाम भारत संघ (एफ.ए.ओ. 22/2015 एवं सीएमए 4501/2015) दिनांक 24 मई, 2019, मामले में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा निम्न बातों पर गौर कर आदेश पारित किया गया :–

5. As Regards Amendment to the Railway Accidents and Untowards Incidents (Compensation) Rules, 1990

Many of the claimants are drawn from rural areas with low levels of literacy and lower levels of making appropriate decision for the use of amounts guaranteed under the award. There are several instances of their exploitation by middlemen and touts operating in the field. The scope for such exploitation is itself one of the incentives for fomenting bogus claims, fabricated documents and duplicate claims in different Benches of the Tribunal for the same cause of action. The availability of bulk fund in the name of an ill-informed claimant is also a cause for exploitation. A scheme for protection of the amount due to such a claimant is the need of the hour. Earlier, this Court has involved 21 Nationalised Banks in dialogue to evolve a scheme of annuities for disbursement of claims. They have been ordered already to be implemented in this case, vide directions passed on 22nd February, 2019. This scheme as applied to motor accident claims has been approved by the Supreme Court in its order dated 05th March, 2019 in Krishnamurthi v New India Insurance Company, SLP (C) No. 31521-31522 OF 2017. A Statutory rule backing will, therefore, best serve the interest of litigant...."

27. माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित किये गये आदेश के अनुपालना में भारत सरकार ने दिनांक 3 जून 2020 को अधिसूचना क.जीएसआर (ई) 347 जारी करते

हुये रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 को संशोधित किया जो निम्नानुसार है:–

"5. Mode of Payment-

5.1 The Tribunal may, in order to protect the sum awarded to the claimants, having due regard to the illiteracu or other disabling factors impairing the judicious use of such sum, issue directions for disbursing the award in terms of annuities, fixed deposits or other suitable mads as shall subserve justice.

5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.

5.3 Nothing in this rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursal for reasons to be stated in writing depending on the exisgencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.

5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 06th November, 2019 of Hon'ble High Court of Delhi in FAO No. 22/2015 and CM Application No. 4501/2015 in Geeta Devi Vs Union of India, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this rule.

28. अतः दिनांक 03 जून 2020 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 के अनुपालन के अनुसार वर्तमान केस में मुआवजा राशि का वितरण चरण कमांक 24 में उल्लेखित अनुसार किया जावें।

29. प्रार्थीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक के व्यक्तिगत बचत खाते का विवरण इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।

30. यदि प्रार्थीगण टीडीएस कटौती की छूट का हकदार है तो वह फार्म–15जी या फार्म15–एच (वरिष्ठ नागरिक) को इस आदेश की दिनांक से 15 दिनों के भीतर

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष जमा करे एवं इस स्थिति में मुआवजा राशि से किसी भी प्रकार के टीडीएस की कटौती नहीं की जायेगी।

31. जीएसआर 347 (ई) दिनांक 03 जून 2020 के अनुसार संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5.4.4 के अनुपालन हेतु सावधि जमा के लिये निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाये:–

1. प्रार्थीगण के बचत खाते या सावधि जमा खाते पर बैंक किसी भी संयुक्त खाते अनुमति नहीं देगा।

2. इस अधिकरण की अनुमति के बिना प्रार्थीगण की सावधि जमा कर किसी भी प्रकार का लोन, अग्रिम, समय पूर्व भुगतान नहीं होगा।

3. बैंक प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा। यद्यपि चेक बुक या डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड पहले से जारी किया गया हो तो मुआवजा राशि के भुगतान के पूर्व उसे निरस्त करेगा।

4. बैंक प्रार्थीगण की पासबुक पर यह प्रविष्टि करेगा कि प्रार्थीगण को चेक बुक या डबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किये गये है और अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नहीं किये जायेगा। प्रार्थीगण उक्त प्रविष्ठि के साथ बैंक की पासबुक इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

32. उपरोक्त आदेशानुसार इस दावे को मंजूर किया जाता है। तथापि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

दिनांक 09.03.2026 को अधिघोषित किया गया ।

(राजीव जैन)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण/जयपुर पीठ